

प्रेमक,

श्री आर्य समाज,
संस्कृत संस्थान,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

श्री श्री
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिशन रोड, 2 समूहाय केंद्र,
प्रोविन्सियल शिक्षा विभाग दिल्ली ।

दिनांक 171 प्रभात

दिनांक: 25 अक्टू, 1997

विषय:- समिती-इंटर-नेशनल-रूल-नो-रूल-44 नोटिफा-नामियाकाद ली0सी0
स्त0सी0 नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिवरे जाने
के सम्बन्ध में ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र आने का निदेश हुआ है कि समिती इंटर
नेशनल रूल नो-रूल 44 नोटिफा नामियाकाद ली0सी0 स्त0सी0 नई दिल्ली से
सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिवरे जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों
के अधीन कार्यवाही नहीं है :-

- 1- विद्ययालय की वेबसाइट जोलाइटी का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 2- विद्ययालय की पुस्तक खाना में शिक्षा विभाग द्वारा नामित
एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्ययालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघीय विद्ययालयों में निम्नलिखित
छात्रों के लिए निर्धारित तुल्य से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्ययालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
किसी शिक्षा परिषद के माध्यमता प्राप्त है तथा विद्ययालय की
सम्बन्धित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्ड का रजि
स्ट्रेशन रूल नोटिफा सम्बन्धित नई दिल्ली से प्राप्त होती
है तो इस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि
के परिषद के माध्यमता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः
समाप्त हो जायेगा ।
- 5- संस्था संविद एवं विद्ययालय कार्यवाहियों को राष्ट्रीय माध्यमता
प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कार्यवाहियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के छात्रों के लिए निम्नलिखित तथा अन्य मातृ नहीं दिये जायेगे ।
- 6- कार्यवाहियों को सेवा नहीं करायी जायेगी और उन्हें तलाक़ा

प्रस्ताव अंततः उच्चतर आचार्यिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति से ही निश्चित का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 7- राज्य सरकार द्वारा कम समय परें जो भी आदेश निकले जायेंगे तंत्रगत उनका पालन करेंगी ।
- 8- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/प्रक्रियाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त प्रपत्रों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन का परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

2- सुविचार्य पद भी होगा कि -

- 111 हीनमोक्षक के द्वारा पद सम्बन्धता दिये जाने के पूर्व सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय की प्रवर्धनारिणी समिति में सब ही परिवार के सदस्यों का पर्यवेक्षण हो ।
- 121 विद्यालय में वास्तविक तथा प्रवेश शुल्क दिये जाने की व्यवस्था समाप्त की जाय ।
- 131 उच्चशिक्षण में प्रोत्साहन योजना लागू कर तीन मास में समाप्त हो अवगत कराया जाय ।

3- उक्त प्रतिकर्षों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी संस्था में पालन जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिकर्षों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महोदय,
प्रमुख अधिकारी,
संस्कृत विभाग ।

पुं० सं० 1103111/15-7-1997 तद्विनिर्देश

सुविचार्य विद्यालयों की सुवचार्य एवं आचार्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यम उच्च शिक्षा विभाग, देहली ।
- 3- जिला शिक्षा विभाग, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षण, आर्य समाज विद्यालय उज्जैन लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, सी टी इन्टर नेशनल स्कूल, दर 44 नोयडा गाजियाबाद ।

महोदय,
[Signature]
प्रमुख अधिकारी,
संस्कृत विभाग ।